



## उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर-थानों रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर के निकट  
देहरादून-248008

वेबसाइट—[www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in)

E- mail: [chayanavog@gmail.com](mailto:chayanavog@gmail.com)

विज्ञापन संख्या: 78/उ0अ0से0च0आ0/2026

दिनांक: 15 जून, 2026

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड के अधीनस्थ न्यायालयों (सिविल न्यायालयों एवं कुटुम्ब न्यायालयों) में समूह 'ग' सीधी भर्ती के माध्यम से कनिष्ठ सहायक के रिक्त 259 पदों तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/वैयक्तिक सहायक के रिक्त 139 पदों अर्थात कुल 398 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	15 जून, 2026
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि	22 जून, 2026
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	06 जुलाई, 2026
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि	08 जुलाई से 10 जुलाई, 2026 तक
लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनन्तिम तिथि	23 अगस्त, 2026

02. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड के अधीनस्थ न्यायालयों (सिविल न्यायालयों एवं कुटुम्ब न्यायालयों) के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/वैयक्तिक सहायक के समूह-‘ग’ के रिक्त 398 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट [www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in) पर दिनांक 06 जुलाई, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को अपने नाम व जन्मतिथि के सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र के साथ-साथ अपने आधार कार्ड के दोनों तरफ की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। रिक्त पदों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	पदनाम/विभाग का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	कनिष्ठ सहायक (सिविल न्यायालय)	रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)	230
2	कनिष्ठ सहायक (कुटुम्ब न्यायालय)	रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)	29
3	आशुलिपिक ग्रेड-1/वैयक्तिक सहायक (सिविल न्यायालय)	रु0 29,200—रु0 92,300 (लेवल-05)	128
4	आशुलिपिक ग्रेड-1/वैयक्तिक सहायक (कुटुम्ब न्यायालय)	रु0 44,900—रु0 1,42,400 (लेवल-07)	11
कुल योग-			398

03. अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय **Offline** अथवा **Online mode** में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अनन्तिम है। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दिये गये Mobile Phone Number पर S.M.S. तथा E-Mail द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं आयोग की वेबसाइट, E-Mail या S.M.S. के माध्यम से प्राप्त होंगी, इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का सही मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी ही आवेदन पत्र में अंकित करें। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं

आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। अतः आवश्यक है, कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट [www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in) का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

नोट— अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्तम्भ में वरीयता के आधार पर नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा। चयन उपरान्त उन्हें विकल्प के आधार पर (अभ्यर्थी की मेरिट व सम्बन्धित जनपद में रिक्ति के अध्याधीन) नियुक्त किया जायेगा। उक्त विकल्प अपरिवर्तनीय होगा।

04. पदों का विवरण:— उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित विभाग की है। इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है। उत्तराखण्ड शासन के क्षैतिज व ऊर्ध्व आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों/नियमों/शासनादेशों में निर्धारित/नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन/परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:—

**A- पदनाम—**

**कनिष्ठ सहायक**

**पदकोड—133**

1. उप पदकोड—133.1/2026 (सिविल न्यायालयों हेतु)

**कुल पद—230**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम/ जनपद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या							
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	कनिष्ठ सहायक (अल्मोड़ा)	अ०जा०	03	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	06	03	—	—	—	—	—	01	
		योग	12	04	—	—	—	—	—	01	
2	कनिष्ठ सहायक (बागेश्वर)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		
		अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—		
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—		
		अना०	06	—	—	—	—	—	—		
		योग	08	—	—	—	—	—	—		—
3	कनिष्ठ सहायक (चमोली)	अ०जा०	03	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—	—		
		अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—		
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—		
		अना०	07	02	—	—	—	—	—		01
		योग	12	02	—	—	—	—	—		01



4	कनिष्ठ सहायक (चम्पावत)	अ0जा0	02	01	—	—	—	—	—	01 (B,LV)
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	03	—	—	—	—	—	—	
		अना0	04	01	—	—	01	01	—	
		योग	09	02	—	—	01	01	—	
5	कनिष्ठ सहायक (देहरादून)	अ0जा0	11	03	—	01	01	—	01	01 (B,LV)
		अ0ज0जा0	02	01	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	07	02	—	—	—	—	01	
		आ0क0व0	05	02	—	—	—	—	01	
		अना0	26	08	01	01	01	01	03	
		योग	51	16	01	02	02	01	06	
6	कनिष्ठ सहायक (हरिद्वार)	अ0जा0	07	02	—	—	—	—	01	01 (B,LV)
		अ0ज0जा0	02	01	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	07	02	—	—	—	—	01	
		आ0क0व0	04	01	—	—	—	—	—	
		अना0	24	07	—	01	01	01	02	
		योग	44	13	—	01	01	01	04	
7	कनिष्ठ सहायक (नैनीताल)	अ0जा0	05	02	—	—	—	—	01	01 (B,LV)
		अ0ज0जा0	01	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	04	01	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	03	01	—	—	—	—	—	
		अना0	15	05	—	01	01	—	02	
		योग	28	09	—	01	01	—	03	
8	कनिष्ठ सहायक (पौड़ी गढ़वाल)	अ0जा0	02	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	01	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	02	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	04	01	—	—	—	—	01	
		योग	09	01	—	—	—	—	01	
9	कनिष्ठ सहायक (पिथौरागढ़)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	02	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	01	—	—	—	—	—	—	
		अना0	05	01	—	—	—	—	01	
		योग	08	01	—	—	—	—	01	
10	कनिष्ठ सहायक (रुद्रप्रयाग)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	01	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	04	—	—	—	—	—	01	
		योग	05	—	—	—	—	—	01	

11	कनिष्ठ सहायक (टिहरी)	अ0जा0	03	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	01	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	03	—	—	—	—	—	—	
		योग	07	—	—	—	—	—	—	
12	कनिष्ठ सहायक (उधमसिंह नगर)	अ0जा0	05	01	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	01	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	03	01	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	03	02	—	—	—	—	—	
		अना0	20	06	—	01	01	01	02	
		योग	32	10	—	01	01	01	02	
13	कनिष्ठ सहायक (उत्तरकाशी)	अ0जा0	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	01	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	01	—	—	—	—	—	—	
		अना0	02	—	—	—	—	—	—	
		योग	05	—	—	—	—	—	—	
कुल योग—			230	58	01	05	06	04	20	04

(ii) वेतनमान:— रू0 21,700—रू0 69,100 (लेवल-03)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 35 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

अनिवार्य अर्हता:—

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होना आवश्यक है।
2. हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।
3. हिन्दी में टंकण की कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी जो अंग्रेजी में टंकण की कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखते हों।
4. कम्प्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान हो।

2. उप पदकोड-133.2/2026 (कुटुम्ब न्यायालयों हेतु)

कुल पद-29

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम/जनपद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कनिष्ठ सहायक (बागेश्वर)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	

2	कनिष्ठ सहायक (चमोली)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	
3	कनिष्ठ सहायक (चम्पावत)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	
4	कनिष्ठ सहायक (देहरादून)	अ0जा0	03	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	01	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	01	—	—	—	—	—	—	
		अना0	03	01	—	—	—	—	—	
		योग	08	01	—	—	—	—	—	
5	कनिष्ठ सहायक (हरिद्वार)	अ0जा0	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	01	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	01	—	—	—	—	—	—	
		अना0	02	01	—	—	—	—	—	
		योग	05	01	—	—	—	—	—	
6	कनिष्ठ सहायक (नैनीताल)	अ0जा0	01	01	—	—	—	—	—	01 (OA, OL, BL, BA, OAL, CP, LC, Dw, AAV, MDy)
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	03	01	—	—	—	01	—	
		योग	04	02	—	—	—	01	—	
7	कनिष्ठ सहायक (पौड़ी गढ़वाल)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	02	—	—	—	—	—	—	
		योग	02	—	—	—	—	—	—	
8	कनिष्ठ सहायक (पिथौरागढ़)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	

9	कनिष्ठ सहायक (रुद्रप्रयाग)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	
10	कनिष्ठ सहायक (टिहरी)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	
11	कनिष्ठ सहायक (उधमसिंह नगर)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	03	—	—	—	—	—	—	
		योग	03	—	—	—	—	—	—	
12	कनिष्ठ सहायक (उत्तरकाशी)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	
कुल योग—			29	04	—	—	—	01	—	01

(ii) वेतनमान:— रू0 21,700—रू0 69,100 (लेवल-03)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 35 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

अनिवार्य अर्हता:—

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होना आवश्यक है।
2. हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।
3. हिन्दी में टंकण की कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी जो अंग्रेजी में टंकण की कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखते हों।
4. कम्प्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान हो।

## B- पदनाम-

## स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/वैयक्तिक सहायक

पदकोड-134

1. उप पदकोड-134.1/2026 (सिविल न्यायालयों हेतु)

कुल पद-128

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

क्र० सं०	पदनाम/ जनपद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या							
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (अल्मोड़ा)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	—	
	योग	03	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (बागेश्वर)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	—	
	योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (चमोली)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	—	
	योग	04	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (चम्पावत)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	02	—	—	—	—	—	—	—	
	योग	03	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (देहरादून)	अ०जा०	06	02	—	—	—	—	01	—	01 (B, LV)
		अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	05	02	—	—	—	—	01	—	
		आ०क०व०	03	01	—	—	—	—	—	—	
		अना०	19	06	—	01	01	01	02	—	
	योग	34	11	—	01	01	01	04	01		
6	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (हरिद्वार)	अ०जा०	05	02	—	—	—	—	01	—	01 (B, LV)
		अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	04	01	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	03	01	—	—	—	—	—	—	
		अना०	17	05	—	01	01	01	02	—	
	योग	30	09	—	01	01	01	03	01		

7	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (नैनीताल)	अ0जा0	03	01	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	01	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	02	01	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	01	—	—	—	—	—	—	
		अना0	07	02	—	—	—	—	01	
योग	14	04	—	—	—	—	—	01	—	
8	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (पौड़ी गढ़वाल)	अ0जा0	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	01	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	01	—	—	—	—	—	—	
		अना0	02	01	—	—	—	—	—	
योग	05	01	—	—	—	—	—	—	—	
9	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (पिथौरागढ़)	अ0जा0	02	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	01	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	01	—	—	—	—	—	—	
		अना0	02	—	—	—	—	—	—	
योग	06	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (रुद्रप्रयाग)	अ0जा0	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	02	—	—	—	—	—	—	
योग	03	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (टिहरी)	अ0जा0	02	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	02	—	—	—	—	—	—	
योग	04	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (उधमसिंह नगर)	अ0जा0	03	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	01	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	01	01	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	02	—	—	—	—	—	—	
		अना0	10	03	—	01	01	—	01	
योग	17	04	—	01	01	—	01	—		
13	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (उत्तरकाशी)	अ0जा0	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	03	—	—	—	—	—	—	
योग	04	—	—	—	—	—	—	—	—	
कुल योग—		128	29	—	03	03	02	09	02	

- (ii) वेतनमान:- रू0 29,200—रू0 92,300 (लेवल-05)  
(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 35 वर्ष तक।  
(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

अनिवार्य अर्हता:-

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होना आवश्यक है।
2. हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।
3. हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। अंग्रेजी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।
4. कम्प्यूटर प्रचालन का अच्छा ज्ञान।

2. उप पदकोड-134.2/2026 (कुटुम्ब न्यायालयों हेतु)

कुल पद-11

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

क्र० सं०	पदनाम/ जनपद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या							
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (बागेश्वर)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	—	
योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (चमोली)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		—
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
		अना०	01	—	—	—	—	—	—		—
योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (चम्पावत)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		—
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
		अना०	01	—	—	—	—	—	—		—
योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (देहरादून)	अ०जा०	02	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		—
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
		अना०	—	—	—	—	—	—	—		—
योग	02	—	—	—	—	—	—	—	—		

5	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (हरिद्वार)	अ0जा0	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	01	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	01	—	—	—	—	—	—	
		अना0	—	—	—	—	—	—	—	
		योग	03	—	—	—	—	—	—	
6	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (पिथौरागढ़)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	
7	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (रुद्रप्रयाग)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	
8	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/ वैयक्तिक सहायक (उत्तरकाशी)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	
कुल योग—			11	—	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— ₹0 44,900—₹0 1,42,400 (लेवल-07)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 35 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

अनिवार्य अर्हता:—

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होना आवश्यक है।
2. हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।
3. हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। अंग्रेजी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।
4. कम्प्यूटर प्रचालन का अच्छा ज्ञान।

#### 05. लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया—

(i) उक्त पदों के चयन हेतु 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (Objective Type with Multiple Choice) 02 घण्टे 30 मिनट की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। टंकण/आशुलिपिक परीक्षा 60 अंको की होगी। अभ्यर्थियों हेतु विज्ञापित पदों का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट [www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in) पर पृथक से प्रकाशित किया जायेगा।

- (ii) सामान्य व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे।
- (iii) अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है।
- (iv) ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) तीन प्रतियों (ट्रिप्लीकेट) में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है, तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा प्रश्न बुकलेट व दिए गए उत्तर विकल्प तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर व उसकी कुंजी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी।
- (v) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को चार उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 01 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।
- (vi) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।
- (vii) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।
- (viii) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/कटिंग आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।
- (ix) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओ0एम0आर0 शीट में गलत अनुक्रमांक अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओ0एम0आर0 शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- (x) ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न-पत्र व दिये गये उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये गये मॉनीटर/कम्प्यूटर/टैब पर ही प्राप्त होंगे।

**06. अधिमान:-** टंकण व आशुलेखन परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने तथा हिन्दी टंकण/आशुलेखन में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले दो अभ्यर्थियों में से अंग्रेजी टंकण/आशुलेखन में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा।

**07. आयु:-**

उपरोक्त पदों हेतु आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जनवरी, 2026 है। कनिष्ठ सहायक एवं स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/वैयक्तिक सहायक के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जनवरी, 2005 के पश्चात् एवं 02 जनवरी, 1991 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह-‘ग’ के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा

अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य है। अधिसूचना संख्या: 6/1/72 कार्मिक-2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

**08. अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-**

जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

**09. राष्ट्रीयता:-**

किसी व्यक्ति को लिपिकीय वर्ग अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जाएगा जबकि वह भारत का नागरिक हो।

**10. चरित्र:-**

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा। अभ्यर्थी को यथास्थिति उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या स्कूल के जिससे उसने अन्तिम बार शिक्षा प्राप्त की थी, के प्रधान अधिकारी तथा दो प्रतिष्ठित जिम्मेदार व्यक्तियों से जो नातेदार ना हो, जो उसके निजी जीवन से सुपरिचित हो, के द्वारा अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**स्पष्टीकरण:-** संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में किसी पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा।

**11. वैवाहिक प्रास्थिति:-**

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

**12. शारीरिक स्वस्थता:-**

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वो वित्त हस्त-पुस्तिका खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करे।

**13. आरक्षण:-**

- i. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमत्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।

- ii. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04%, अनाथ बच्चों हेतु 05%, कुशल खिलाड़ी के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
- iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 06.07.2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करते हों।
- iv. शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य होनी चाहिए।
- v. जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- vi. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 179/xxx(2)/2021-30(2)/2019 दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता-पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 एवं शासनादेश संख्या: 11/xxx(2)/2022-30(2)/2019 दिनांक 16 फरवरी, 2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
- vii. "भूतपूर्व सैनिक" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सकीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं—(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सकीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले। (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

viii. भारत सरकार की कार्यालय ज्ञाप संख्या- 36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोई पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो पहले से ही राज्य सरकार की समूह 'ग' और 'घ' की सेवा में कार्यरत है, वह राज्य सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' में उच्चतर श्रेणी या संवर्ग में किसी अन्य सेवायोजन को प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिक हेतु यथाविहित आयु शिथिलता का लाभ प्राप्त कर सकेगा, यद्यपि ऐसा अभ्यर्थी राज्य सरकार की नौकरी में पूर्व सैनिक हेतु आरक्षण के लाभ के लिए अर्ह नहीं होगा।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 145/XXXVI(3)/2026/30(1)/2026 दिनांक 24 अप्रैल, 2026 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एक बार पूर्व सैनिक हेतु अनुमन्य आरक्षण के आधार पर यदि कोई पूर्व सैनिक लोक सेवाओं और पदों में नियुक्त/नियोजन प्राप्त कर लेगा, तो इसके पश्चात उसे पूर्व सैनिक के रूप में प्रदत्त आरक्षण का लाभ पुनः लोक सेवाओं और पदों में अनुमन्य नहीं होगा।

ix. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

x. "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से अभिप्रेत है।

xi. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-244/xxxvi(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18 अगस्त, 2024 में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 द्वारा राज्य की राज्यधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- WP-PIL 152/24 भुवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अधीन रहेगा।

शासनादेश संख्या: 139/XX(8)/24-27(रा0आ0)/2018 दिनांक 24 नवम्बर, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जो राज्य आन्दोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके हैं, वे पुनः अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। प्रत्येक राज्य आन्दोलनकारियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आन्दोलनकारी कोटे से क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।

xii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-117/xxxvi(3)/2024/09(1)/2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 द्वारा 'कुशल खिलाड़ी' से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में है, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं है, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा.प्र./2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, रिक्तियों में, जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगा:-

क्र० सं०	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
1	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता /प्रतिभाग	लेवल-10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर


2	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल	पदक विजेता /प्रतिभाग	लेवल-8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
3	कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता /प्रतिभाग	लेवल-7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता /प्रतिभाग	लेवल-6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
5	राष्ट्रीय खेल/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/खेलो इण्डिया यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल-5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
6	उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य खेल/राष्ट्रीय खेल संघों से मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप/युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ/विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय स्कूल खेल/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयी खेल	पदक विजेता	लेवल-5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

परन्तु यह कि राज्यधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

- xiii.** कुशल खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की पुष्टि संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों (भारत सरकार अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त) से कराई जायेगी तथा समान श्रेणी की वरीयता के क्रम से तात्पर्य अपनी श्रेणी से है।
- xiv.** ऑनलाइन आवेदन-पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण, श्रेणी/उपश्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, महिला, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी तथा उनके आश्रित एवं उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के (Circular Letter) परिपत्र संख्या: 4/यू0एच0सी0/एडमिन.बी/ग्रुप सी व डी पोस्ट/2024-25 दिनांक 10 जनवरी, 2026 द्वारा दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।
- xv.** यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा तथा आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

**नोट:-** आरक्षण से संबंधित प्रपत्र हेतु परिशिष्ट-2(क), 2(ख), 2(ग), 2(घ), 2(च), 3, 3(क), 3(ख) का अवलोकन करें। अभ्यर्थी उक्त परिशिष्टों में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार ही अपने प्रमाण-पत्र तैयार करवायें।

#### 14. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के चरण



- i. अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करना चाहिए। एक मोबाइल नंबर और एक ई-मेल आईडी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है।
- ii. अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद सदैव अपना ई-मेल आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखें। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द समझा जायेगा एवं यूके0एस0एस0एस0सी0 द्वारा भविष्य में करायी जाने वाली परीक्षाओं से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा।
- iii. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम समझा जाएगा।
- iv. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें, क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य के लॉग-इन के लिए आवश्यक है।
- v. अभ्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ का आयाम (150w×200H px), हस्ताक्षर का आयाम (150w×100H px) और बायोमेट्रिक पुष्टि हेतु स्पष्टतः बाएं हाथ के अंगूठे का आयाम (150w×100H px) को जे0पी0जी0/जे0पी0ई0जी0 प्रारूप में अपलोड करना होगा।
- vi. आवेदन-पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू0पी0आई0 से कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
- vii. तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृपया हमें [chayanayog@gmail.com](mailto:chayanayog@gmail.com) पर ई-मेल करें।
- viii. यदि अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र का शुल्क किसी तकनीकी कारण से असफल (Failed) हो जाता है या भुगतान हो जाने के बाद भी असफल (Failed) हो जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा भुगतान किया गया शुल्क शीघ्र वापस कर दिया जायेगा।
- ix. अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र को तभी पूर्ण समझा जायेगा, जब तक की अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के Status वाले कॉलम में Completed प्रिन्ट न लिखा हो।
- x. निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ समझा जाएगा।
- xi. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।
- xii. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्ट-आउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

#### 15. शुल्क:-


अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क (रु0)
01	अनारक्षित (Unreserved)/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	300.00
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC)/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	150.00

03	उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थी (DIVYANG)	150.00
04	अनाथ (ORPHAN)	00.00

**16. अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें:-**


- (1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाइन फार्म में बिना प्रमाण-पत्रों/संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।
- (2) अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
- (3) अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदित समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन निरस्त (cancel) कर, पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन निरस्त (cancel) करने पर निरस्त किये जाने वाले आवेदन के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा और नवीन आवेदन पत्र के सापेक्ष समायोजित भी नहीं किया जायेगा। गलत भरे गये आवेदन-पत्र की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- (4) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है, साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग (F.I.R) भी दर्ज कराया जाएगा।
- (5) प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा प्रारम्भिक स्तर पर ही उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आयोग द्वारा अंतिम रूप से चयन के उपरांत अभ्यर्थी की संस्तुति प्रेषित की जा चुकी हो, तो उक्त स्थिति में भी आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- (6) लिखित परीक्षा के पश्चात अभिलेख सन्निरीक्षा परीक्षा का अनिवार्य अंग है, जिसमें सभी आरक्षण/शैक्षिक अर्हता/अधिमान्नी अर्हता/अनुभव संबंधी दावे/अभिलेखों की पुष्टि की जाती है। अभिलेख सन्निरीक्षा के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जाएगा। नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभिलेख सन्निरीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के अतिरिक्त पृथक अन्य किसी माध्यम से नहीं दी जायेंगी। अभिलेख सन्निरीक्षा में अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।



- (7) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों को एक बार के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र में संशोधन (Edit) का अवसर प्रदान किया जायेगा, किन्तु अभ्यर्थी को अपने नाम, माता/पिता के नाम, आयु एवं परीक्षा केन्द्र में संशोधन/परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि के अक्षरों अथवा अंकों में आंशिक परिवर्तन कर एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरे जाते हैं तो संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- (8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (9) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है, इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।
- (10) आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- (11) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवा नियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत सम्पन्न की जाएगी।
- (12) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।
- (13) ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सही नाम अंकित न करने के परिणामस्वरूप जारी त्रुटिपूर्ण प्रवेश-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।
- (14) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन-पत्र, उपस्थिति सूची, अभिलेख सन्निरीक्षा के समय तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
- (15) प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई-मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर नहीं है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें ताकि आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे।
- (16) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- (17) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी औपबंधिक उत्तर-कुंजियों के प्रसारित किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रु0 50/-प्रति प्रश्न की दर से अपना प्रत्यावेदन/आपत्ति ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिणाम जारी किया जाएगा।



- (18) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
- (19) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से वरीयता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (20) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-168/XXXVI(3)/2023 /10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने पर अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 के तत्समय लागू प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (21) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-
- |         |   |                          |
|---------|---|--------------------------|
| अ0जा0   | - | अनुसूचित जाति            |
| अ0ज0जा0 | - | अनुसूचित जनजाति          |
| अ0पि0व0 | - | अन्य पिछड़ा वर्ग         |
| अ0क0व0  | - | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| अना0    | - | अनारक्षित                |

  
(एन0 एस0 डुंगरियाल),  
सचिव।

परिशिष्ट-2(क)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रपत्र  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तराखण्ड की..... जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति)  
आदेश 1950(जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश  
1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के  
रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार  
उत्तराखण्ड के ग्राम.....तहसील.....नगर.....  
..जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/  
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/  
तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ख)

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

.....उत्तराखण्ड के राज्य की.....पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति

उ0प्र0 लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त

है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची-2 में अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी.

दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार

उत्तराखण्ड के ग्राम.....तहसील.....नगर.....

..जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी  
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/  
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ग)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मोहल्ला.....  
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।  
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से  
कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख(रुपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार  
निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत  
सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में  
सम्मिलित नहीं है।

आवेदक का नवीनतम  
पासपोर्ट साइज का  
प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम.....

पदनाम.....

परिशिष्ट-2(घ)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र

शासनादेश संख्या-4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित).....  
.....पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री(पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) उपयुक्त अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी.....

परिशिष्ट-2(च)  
निःशक्तता प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या:-----

तारीख-----

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के  
अध्यक्ष द्वारा विधिवत  
प्रमाणित उम्मीदवार  
का हाल का फोटो  
जो उम्मीदवार की  
निःशक्तता दर्शाता  
हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0-----

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री-----आयु-----लिंग-----पहचान चिह्न-----

-----निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक(लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात(फॉलिज)

- i. दोनों टांगे(बी. एल.) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
- ii. दोनों बांहें(बी. ए.) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुंच  
(ख) कमजोर पकड़
- iii. दोनों टांगे और बांहें (बी.एल. ए.) – दोनों टांगे और दोनों बांहें प्रभावित
- iv. एक टांग(ओ.एल.) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)  
(क) दुर्बल पहुंच  
(ख) कमजोर पकड़  
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- v. एक बांह (ओ.ए.) – एक बांह प्रभावित  
(क) दुर्बल पहुंच  
(ख) कमजोर पकड़  
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- vi. पीठ और नितम्ब (बी.एच.) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन(बैठ और झुक नहीं सकते)
- vii. कमजोर मांस पेशियां (एम.डब्लू.) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि -

- i. बी. - अंधता
- ii. पी. बी. - आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- i. डी. - बधिर
- ii. पी. डी. - आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती-.....वर्षों.....महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। \*

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत.....है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- |  |          |
|--|----------|
| i. एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।                | हां/नहीं |
| ii. पी.पी.- धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।     | हां/नहीं |
| iii. एल- उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।                   | हां/नहीं |
| iv. के.सी.- घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| v. बी- झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।                            | हां/नहीं |
| vi. एस- बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं।                           | हां/नहीं |
| vii. एस.टी.- खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।                   | हां/नहीं |
| viii. डब्लू- चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं।                    | हां/नहीं |
| ix. एस.ई.- देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।                        | हां/नहीं |
| x. एच- सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।               | हां/नहीं |
| xi. आर.डब्लू.- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।    | हां/नहीं |

(डा0.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/  
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित  
(मुहर सहित)

\* जो लागू न हो काट दें।

## परिशिष्ट-03

शासनादेश संख्या 374(1)/xxx(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक (Scribe) एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में निर्देश:-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित प्रतियोगी परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomotor disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया, (दानों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क पक्षाघात) से ग्रस्त है तथा इसके अतिरिक्त बेंचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में श्रुतलेखक (Scribe) की अनुमति इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक रूप से लिखने में अक्षमता है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए श्रुतलेखक (Scribe) आवश्यक है। इस हेतु देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सा/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करने वाले अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक (Scribe) हेतु दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 03 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-3(क) की प्रति, श्रुतलेखक (Scribe) से संबंधित परिशिष्ट-3(ख) की प्रति एवं श्रुतलेखक (Scribe) की दो आवक्ष फोटो, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण-पत्र एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात श्रुतलेखक (Scribe) उपलब्ध कराये जाने से संबंधित किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 03 दिन पूर्व अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र की प्रति के साथ परिशिष्ट-3(क) प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
3. श्रुतलेखक (Scribe) की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी।
4. दिव्यांग अभ्यर्थी की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्न-पत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
5. श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
6. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

परिशिष्ट-3(क)

**Certificate regarding physical limitation in an examinee to write**

This is to certify that; I have examined Mr./Ms./Mr. ....  
(name of the candidate with disability), a person with .....  
(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability),  
S/o/D/o ..... a resident of .....  
(Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which  
hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

**Signature**

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government  
Health care institution.

**(Name & Designation)**

**Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:**

**Place:**

**Date:**

**Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability  
(e.g. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic  
specialist/PMR)**

परिशिष्ट-3(ख)

**Letter of Undertaking for using own Scribe**

I ....., a candidate with ..... (name of the disability) appearing for the ..... (name of the examination) bearing Roll No. .... at ..... (name of the Centre) in the District ..... (name of the State). My qualification is .....

I do hereby state that ..... (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is .....  
In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

**(Signature of the candidate with disability)**

**Place:**

**Date:**